फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

जम्बो फिनवेस्ट लि0 जयपुर बनाम राकेश शर्मा बगैरा।

किस्म मुकदमा:–अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर ...7... सन् 2020

RCMS No. 2020/00013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
13.3.2020	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री यादवेन्द्र सिंह प्राधिकृत अधिकारी, जम्बो फिनवेस्ट लि0 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता संख्या 1. श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री विजय सिंह पता 51, नौरंगाबाद, तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0, ऋणी 2. श्रीमती उर्मिलादेवी पत्नि श्री राकेश शर्मा पता 51, नौरंगाबाद, तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0, सह ऋणी व बंधककर्त्ता 3. श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा पता 48 नौरंगाबाद, तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0 जमानती के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 17.01.2017 को 6,50,000/–रूपये मात्र छः लाख पचास हजार रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:– 1. श्रीमती उर्मीला देवी पत्नि श्री राकेश शर्मा की सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं0 188 खसरा नम्बर 1170/664, कुण्डावल नगर, सेक्टर–1, चोपड़ा मन्दिर के पीछे कुण्डावाला रोड़ गांव महमदपुर, धौलपुर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप 200 वर्ग गज है। जिसकी चारों सीमाएं निम्न प्रकार है उत्तर में प्लॉट नं0 189, 190, दक्षिण में प्लॉट नं0 187, पूर्व में 30 फीट चौडी सड़क, पश्चिम में प्लॉट नं0 121ए, 121, 120 स्थित है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्बंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 05.07.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 02.11.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 3,49,868/– रूपये मात्र दिनांक 22.10.2019 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का	249251 18.3.2020

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति 1. श्रीमती उर्मीला देवी पत्नि श्री राकेश शर्मा की सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं0 188 खसरा नम्बर 1170/664, कुण्डावल नगर, सेक्टर–1, चोपड़ा मन्दिर के पीछे कुण्डावाला रोड़ गांव महमदपुर, धौलपुर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप 200 वर्ग गज है। जिसकी चारों सीमाएं निम्न प्रकार है उत्तर में प्लॉट नं0 189, 190, दक्षिण में प्लॉट नं0 187, पूर्व में 30 फीट चौडी सड़क, पश्चिम में प्लॉट नं0 121ए, 121, 120, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 06.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर